रजिस्टर्ड/सीव्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1218/2026/754/22-2-2026-17(314)/2026
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार यादव उर्फ करिया (बन्दी संख्या-150/2018) पुत्र स्व0 बैजनाथ, ग्राम-गिरधरपुर, थाना-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही का है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/2008 व 07/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक, भदोही-ज्ञानपुर दण्डादेश दिनांक 18.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.11.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुये मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, **अतिरिक्त अन्य वाद** 1-एस०टी०नं०-06/2007, धारा-307/149, 336/149, 323/149, 504, 506, 148 आई०पी०सी० में 10 वर्ष का कारावास। इस वाद में मूल सजा 22.10.2018 को समाप्त तथा अर्थदण्ड की सजा शेष है। 2-मु०नं०-123/2012. धारा-3(1) यू०पी० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप नि०अधि० में 07 वर्ष का कारावास। बंदी द्वारा दिनांक 19.05.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, भदोही के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1218/2026/754(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, भदोही।
3- पुलिस अधीक्षक भदोही।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।